

प्रेषक,

संख्या : 123 / XXIV-B-5 / 2020 / 03(01) / 2020

आर० मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

देहरादून, दिनांक 21 मार्च, 2020

विषय - उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की परिषदीय परीक्षा-2020 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक/विविध/शिविर/35027/2019-20 दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की दिनांक 19 मार्च, 2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष-2020 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के मध्य प्रस्तावित किया गया है। चूंकि शासनादेश संख्या-23प/आई०डी०एस०पी०/COVID-19/2020/543 दिनांक 15 मार्च, 2020 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) का विश्वभर में आपदा के रूप में प्रकोप फैलने तथा इससे रोकथाम तथा बचाव के दृष्टिगत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष-2020 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु वर्तमान में निर्धारित तिथि (अवधि) को स्थगित करते हुए मूल्यांकन कार्य की अवधि (प्रशिक्षण सहित) पृथक से निर्धारित करने हेतु सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

पृ०सं० : 123 / XXIV-B-5 / 2020 / 03(01) / 2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा० शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना उत्तराखण्ड को उक्त के क्रम में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित।
10. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. कार्यालय प्रति।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।